न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नं0–4, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित– बाबूराम (एच0जे0एस0)

<u>प्रा0 दीवानी वाद सं0–1/2015</u>

1– रामशिव तिवारी उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री पूरनलाल तिवारी, निवासी मोहल्ला लक्ष्मीनगर कालोनी, वार्ड सं0–8 गोला गोकरननाथ, जिला– लखीमपुर–खीरी ।

2– अनिल कुमार पाण्डेय उम्र 40 वर्ष पुत्र जानकी प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम वेलवा, जिला– खीरी

3– मुन्नालाल मिश्रा उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री वेदप्रकाश मिश्रा, निवासी ग्राम अहीरी, पो0 शिवराजपुर, तहसील मितौली, जिला–लखीमपुर–खीरी ।

——— वादीगण

बनाम

1– संजूदेवी पुत्र 50 वर्ष पत्नी स्व0 कमलकुमार सिंह, निवासी जंगेश्वरनाथ मंदिर मोहल्ला तीर्थ कस्बा गोला गोकरननाथ, पो0 गोला, परगना हैदराबाद, जिला– लखीमपुर–खीरी ।

2– किरन सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष पत्नी दिनेश प्रकाश सिंह,जंगेश्वरनाथ मंदिर मोहल्ला तीर्थ कस्बा गोला गोकरननाथ, पो0 गोला, परगना हैदराबाद, जिला– लखीमपुर–खीरी ।

——— प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा वर्तमान दीवानी वाद धारा– 92 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादीगण हिन्दू सनातन धर्म के अनुयायी हैं तथा मूर्ति पूजा में विश्वास एवं आस्था रखते हैं । गोला गोकरननाथ में स्थित भगवान शंकर जी, भगवान रामचन्द्र जी आदि स्थापित मन्दिर जंगेश्वरनाथ की पूजा अर्चना करते हैं । ठकुराइन ताज कुंवरि बेवा जंगी सिंह जो कि खुटा जिला शाहजहांपुर की ताल्लुकेदार थी । इनके कई जिलो में चल अचल सम्पत्ति थी । जिनमें से जिला खीरी में कई तहसीलों में कृषि भूमि व गोला में जंगेश्वरनाथ मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला व ठाकुरद्वारा स्थित है । ठकुराइन ताज कुंवरि के कोई औलाद नहीं थे तथा कुंवर जंगी सिंह अपने जीवन काल से ही अपनी सम्पत्ति गोला पर ठाकुरद्वारा मय शिवाला , पाठशाला मन्दिर आदि की तामीरात करने की इच्छा जाहिर की तथा काम शुरू किया । इसी दौरान कुंवर जंगी सिंह की मृत्यु हो गयी उनकी मृत्यु के बाद रानी ताज कुंवरि ने अपने पति ठाकुर जंगी सिंह की इच्छा के अनुसार गोला गोकरननाथ में शंकर जी के मन्दिर के निकट श्री राम चन्द्र जी , श्री शंकर जी और मौसूमा जंगेश्वरनाथ

व धर्मशाला आदि का निर्माण कराया तथा मंदिर में उक्त भंगवान से सम्बंधित मूर्ति की स्थापन 1931 में करायी । रानी ताज कुंवरि ने मन्दिर ठाकुरद्वारा धर्मशाला आदि के रख–रखाव के लिये श्री रामचन्द्र महराज मन्दिर के उत्तर पश्चिम व दक्षिण उफ दाता व नम्बरी आराजी का स्वामी रामजी स्थापित मन्दिर को बना दिया तथा इस बाबत एक समिति का गठन करके 13 अगस्त 1935 में पंजीकृत करवा दिया । इस समिति का नाम जंगेश्वनाथ न्यास समिति रक्खा । रानी ताज कुंवरि की मृत्यु दिनांक– 20–11–1960 को हो गयी । जब तक वह जीवित रही, न्यास की अध्यक्ष रहीं और न्यास का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा । उनकी मृत्यु के बाद मन्दिर धर्मशाला, पाठशाला व जमीन आदि की देखभाल समिति के अध्यक्ष व सचिव करते रहे तथा आमदनी व खर्चा का हिसाब रखते रहे । न्यास समिति के अनुसार किसी भी न्यासी सचिव या सदस्य को सम्पत्ति में कोई हक हांसिल नहीं थे न विक्रय करने का अधिकार था । ताज कुंवरि की मृत्यु के बाद कुंवर गजेन्द्र रतन बहादुर सिंह ने न्यास की सम्पत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ व हितो की पूर्ति के लिये करने लगे तथा न्यास सम्पत्ति का बहुत सारे बयनामें के द्वारा विक्रय कर दिया और उस धन को निजी प्रयोग में ले लिया एवं सम्पत्ति की देखभाल नहीं की । कुंवर गजेन्द्र रतन बहादुर सिंह की मृत्यु 1996 में हो गयी उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0–1 ने प्रतिवादी सं0– 2 की मद्द से न्यास की सम्पत्ति ठाकुरद्वारा मन्दिर रामचन्द्र महराज व उससे लगी भूमि स्थित गोला गोकरननाथ को खुर्द–बुर्द करना शुरू कर दिया । सम्पत्ति के बारे में कोई हिसाब–किताब रख–रखाव नहीं किया । प्रतिवादी सं0–1 व 2 आपस में साज करके धर्मशाला गोला गोकरननाथ की भूमि को बेंचने की कोशिश की तथा उसमें स्थित प्रतिमाओं के जेबरात बेंच दिये । मन्दिर के आस–पास की जमीन को विक्रय करने के लिये अमादा हैं । प्रतिवादीगण से न्यास सम्बंधित सम्पत्ति का हिसाब किताब मांग तो मना कर दिये । इसलिये न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत वाद योजित किया जा रहा है ।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद–पत्र 45 क प्रस्तुत कर वाद–पत्र के कुछ कथनों को स्वीकार करते हुए तथा कुछ को इन्कार करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा गया कि वादी का विवादित न्यास में कोई हित नहीं है न उसे वाद योजित करने का अधिकार है । वादी ने जो अनुतोष मांगा है उसे नहीं मिल सकता है । वादीगण ने अपने दो में यह नहीं लिखा है कि प्रतिवादीगण की स्थिति क्या है । प्रतिवादीगण को न्यासी भी अभिकथित नहीं किया है । वाद–पत्र केअनुसार प्रतिवादीगण जबरदस्ती न्यास की सम्पत्ति पर काबिज हैं

और अनाधिकृत रूप से अन्तरण कर रहे हैं । ऐसी दशा में वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं है । वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है । खारिज किये जाने योग्य है ।

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं :–

1– क्या विवादित सम्पत्ति एवं उसमें निर्माण मन्दिर शंकर जी, मौसूमा , जगेश्वरनाथ व धर्मशाला न्यास सम्पत्ति है , जिसकी देख–रेख एवं मन्दिर में पूजा अर्चना वादीगण करते हैं ?

2– क्या वादीगण वाद–पत्र में वर्णित अभिबचनों के आधार पर न्यास सम्पत्ति का हिसाब किताब एवं प्रतिवादी सं0–1 को न्यासी के पद से हटा पाने के अधिकारी है ?

3– क्या वादीगण वाद–पत्र में वर्णित अभिबचनों के आधार पर नयी न्यास समिति गठित करा पाने के अधिकारी हैं?

4– क्या वादीगण का वाद धारा– 92 सी0पी0सी0 में पोषणीय नहीं है ?

5– क्या वादीगण को वाद योजित करने का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ ?

6– वादीगण किस अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं ?

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 7ग से 8ग विलेख की छाया प्रति एवं हिन्दी तरजुमा 9ग लगायत 19ग बयनामा की छाया प्रति, सूची 59ग से बयनामा दिनांक– 14–11–67, 1–3–84, 25–2–85 की सत्य प्रतिलिपि 59ग/17 असल बयनामा, 59ग/21 न्यास विलेख जो उर्दू में है जिसका हिन्दी तरजुमा 59ग/27 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल किया गया है । प्रतिवादीगण की ओर से सूी 25ग से 26ग/1 लगायत 26ग/52 विभिन्न सम्पत्तियों के बाबत विवरण की फोटो प्रति प्रस्तुत किया गया है ।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 मुन्नालाल, पी0डब्लू0–2 धनुषधारी द्विवेदी को परीक्षित कराया गया है तथा प्रतिवादीगण की ओर से डी0डब्लू0–1 किरन सिंह को परीक्षित कराया गया है ।

प्रतिवादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में अवनीशचन्द्र तिवारी बनाम अपर जिला जज, उन्नाव व अन्य की विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया गया है ।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–1–</u>क्या विवादित सम्पत्ति एवं उसमें निर्माण मन्दिर

शंकर जी, मौसूमा , जगेश्वरनाथ व धर्मशाला न्यास सम्पत्ति है , जिसकी देख–रेख एवं मन्दिर में पूजा अर्चना वादीगण करते हैं ? इसे साबित करने का भार वादीगण पर है ।

वादीगण का वाद–पत्र में संक्षेप में कथन है कि वादीगण हिन्दू सनातन धर्म के अनुयायी हैं तथा मूर्ति पूजा में विश्वास एवं आस्था रखते हैं । गोला गोकरननाथ में स्थित भगवान शंकर जी, भगवान रामचन्द्र जी आदि स्थापित मन्दिर जंगेश्वरनाथ की पूजा अर्चना करते हैं । ठकुराइन ताज कुंवरि बेवा जंगी सिंह जो कि खुटार जिला शाहजहांपुर की ताल्लुकेदार थी । इनके कई जिलो में चल अचल सम्पत्ति थी । जिनमें से जिला खीरी में कई तहसीलों में कृषि भूमि व गोला में जंगेश्वरनाथ मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला व ठाकुरद्वारा स्थित है । ठकुराइन ताज कुंवरि के कोई औलाद नहीं थे तथा कुंवर जंगी सिंह अपने जीवन काल से ही अपनी सम्पत्ति गोला पर ठाकुरद्वारा मय शिवाला , पाठशाला मन्दिर आदि की तामीरात करने की इच्छा जाहिर की तथा काम शुरू किया । इसी दौरान कुंवर जंगी सिंह की मृत्यु हो गयी उनकी मृत्यु के बाद रानी ताज कुंवरि ने अपने पति ठाकुर जंगी सिंह की इच्छा के अनुसार गोला गोकरननाथ में शंकर जी के मन्दिर के निकट श्री राम चन्द्र जी , श्री शंकर जी और मौसूमा जंगेश्वरनाथ व धर्मशाला आदि का निर्माण कराया तथा मंदिर में उक्त भंगवान से सम्बंधित मूर्ति की स्थापन 1931 में करायी । रानी ताज कुंवरि ने मन्दिर ठाकुरद्वारा धर्मशाला आदि के रख–रखाव के लिये श्री रामचन्द्र महराज मन्दिर के उत्तर पश्चिम व दक्षिण उफ दाता व नम्बरी आराजी का स्वामी रामजी स्थापित मन्दिर को बना दिया तथा इस बाबत एक समिति का गठन करके 13 अगस्त 1935 में पंजीकृत करवा दिया । इस समिति का नाम जंगेश्वनाथ न्यास समिति रखा। रानी ताज कुंवरि की मृत्यु दिनांक– 20–11–1960 को हो गयी । जब तक वह जीवित रही, न्यास की अध्यक्ष रहीं और न्यास का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा । उनकी मृत्यु के बाद मन्दिर धर्मशाला, पाठशाला व जमीन आदि की देखभाल समिति के अध्यक्ष व सचिव करते रहे तथा आमदनी व खर्चा का हिसाब रखते रहे। न्यास समिति के अनुसार किसी भी न्यासी सचिव या सदस्य को सम्पत्ति में कोई हक हांसिल नहीं थे न विक्रय करने का अधिकार था। ताज कुंवरि की मृत्यु के बाद कुंवर गजेन्द्र रतन बहादुर सिंह ने न्यास की सम्पत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ व हितो की पूर्ति के लिये करने लगे तथा न्यास सम्पत्ति का बहुत सारे बयनामें के द्वारा विक्रय कर दिया और उस धन को निजी प्रयोग में ले लिया एवं सम्पत्ति की देखभाल नहीं की । कुंवर गजेन्द्र रतन बहादुर सिंह की मृत्यु 1996 में हो गयी उनकी मृत्यु के बाद

प्रतिवादी सं0–1 ने प्रतिवादी सं0– 2 की मद्द से न्यास की सम्पत्ति ठाकुरद्वारा मन्दिर रामचन्द्र महराज व उससे लगी भूमि स्थित गोला गोकरननाथ को खुर्द–बुर्द करना शुरू कर दिया । सम्पत्ति के बारे में कोई हिसाब–किताब रख–रखाव नहीं किया । प्रतिवादी सं0–1 व 2 आपस में साज करके धर्मशाला गोला गोकरननाथ की भूमि को बेंचने की कोशिश की तथा उसमें स्थित प्रतिमाओं के जेबरात बेंच दिये । प्रतिवादीगण का प्रतिवाद–पत्र में वादीगण का विवादित न्यास में कोई हित नहीं है न उसे वाद योजित करने का अधिकार है । वादी ने जो अनुतोष मांगा है उसे नहीं मिल सकता है । वादीगण ने अपने दो में यह नहीं लिखा है कि प्रतिवादीगण की स्थिति क्या है। प्रतिवादीगण को न्यासी भी अभिकथित नहीं किया है।वाद–पत्र के अनुसार प्रतिवादीगण जबरदस्ती न्यास की सम्पत्ति पर काबिज हैं और अनाधिकृत रूप से अन्तरण कर रहे हैं । ऐसी दशा में वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं है ।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र के कथन के समर्थन में सूची 59ग/2 बयनामा दिनांक– 14–11–67, 59ग/6 बयनामा दिनांक– 1–3–84, 59ग/8 बयनामा दिनांक– 25–2–85, 59ग/11 बयनामा दिनांक– 25–2–85, की सत्य प्रतिलिपि एवं 59ग/14 व 59ग/17 की मूल प्रति दाखिल किया गया है , जिसके अवलोकन से कु0 गजेन्द्र रतन बहादुर सिंह द्वारा विवादित न्यास की सम्पत्ति का विभिन्न तारीखों में विभिन्न व्यक्तियों को जरिये बयनामा विक्रय किया गया । जब कि न्यास विलेख के अवलोकन से विवादित सम्पत्ति जिन्हे न्यास सम्पत्ति में शामिल किया गया है उसे किसी न्यासी को या समिति के किसी सदस्य को विक्रय करने अथवा स्वंय के लिये उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है । कागज सं0– 59ग न्यास विलेख जो उर्दू में है जिसका हिन्दी तरजुमा , जिसका पंजीकरण 10 अगस्त 1935 को हुआ है , दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से ठकराइन ताज कुंवरि वेवा जंगी सिंह द्वारा ठाकुरद्वारा मय शिवाला, पाठशाला , धर्मशाला एवं मन्दिर श्री रामचन्द्र जी , श्री शंकर जी, मौसूमा जगेश्वरनाथ तथा उससे सम्बंधित भूमि स्थित गोला गोकरननाथ के बाबत न्यास स्थापित किया गया । उक्त न्यास की अध्यक्ष ताज कुंवरि अपने जीवनकाल तक रही तथा उक्त सम्पत्ति की देख–रेख करती रही। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि एक न्यास समिति, न्यास की सम्पत्ति की देख–रेख इन्तजाम व आय–व्यय से सम्बंधित हिसाब किताब करने हेतु गठित की गयी । विलेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी वजह से न्यास की सम्पत्ति के इन्तजाम में कोई कमी या लापरवाही पायी जाती है तो

कोई एक हिन्दू जनता का आदमी न्यास की सम्पत्ति के रख–रखाव एवं सुरक्षा हेतु अदालत में वाद योजित कर सकता है ।

वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 मुन्नालाल मिश्र स्वंय वादी को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में वाद–पत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा साक्ष्य दिया है कि विवादित सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति है । विवादित सम्पत्ति के बाबत न्यास का गठन ठकुराइन ताज कुंवरि ने किया था । इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में साक्ष्य दिया है कि ट्रस्ट की सम्पत्ति के मूल स्वामी जंगीसिंह थे उनकी पत्नी का नाम ताजकुंवरि था । ताज कुंवरि ने अपनी कुल सम्पत्ति गोला की ट्रस्ट में लगायी थी । पी0डब्लू0–2 धनुषधारी को परीक्षित कराया गया है इसने पी0डब्लू0–1 के बयान का समर्थन किया है तथा साक्ष्य दिया है कि मन्दिर में शंकर जी राम लक्षमण, सीता की मूर्ति है , जो अष्टधातु की है । इस प्रकार इन दोनो साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति है जिसमें मन्दिर शंकर जी, मन्दिर रामचन्द्र जी महराज, मौसूमा जगेश्वरनाथ की मूर्ति स्थापित है ।

प्रतिवादीगण की ओर से डी0डब्लू0–1 किरन सिंह को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने मुख्य बयान में प्रतिवाद–पत्र के कथन का समर्थन किया तथा जिरह में साक्ष्य दिया है कि श्रीरामचन्द्र महराज स्थापित मन्दिर गोला गोकरननाथ में विराजमान है । यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड है इसको रानी ताजकुंवरि वेबा राजा जंगी सिंह ने बनाया था । लखीमपुर में ट्रस्ट की सम्पत्ति पलिया, मकनपुर, टेहरा, गोला में है, गोला में ठाकुरद्वारा है । इस प्रकार इस साक्षी ने विवादित सम्पत्ति को न्यास की सम्पत्ति होना अपने मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया है । यह भी स्वीकार किया है कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना रानी ताज कुंवरि बेवा जंगी सिंह ने की थी । न्यास की सम्पत्ति में मन्दिर शंकर जी, रामचन्द्र जी महराज, धर्मशाला, पाठशाला स्थित है । दौरान वाद रामशिव तिवारी द्वारा वाद वापस हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया । परन्तु उस पर बल देने के लिये कोई उपस्थित नहीं आया । इसलिये उक्त प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है ।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य एवं पत्रावली के अवलोकन से वादीगण की ओर से जो न्यास विलेख 59ग दाखिल किया गया है उसके अवलोकन से विवादित सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति है । उक्त न्यास की स्थापना रानी ताजकुंवरि बेवा जंगी सिंह ने स्थापित की थी । उक्त न्यास का पंजीकरण रानी ताजकुंवरि ने अपने जीवनकाल में सन 1935 में कराया था । राज ताजकुंवरि

अपने जीवनकाल तक उक्त न्यास सम्पत्ति की देख–भाल व अध्यक्षता करती रही । इस तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद–पत्र के पैरा –1 लगायत 5 में स्वीकार किया गया है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत बयनामा दिनांक– 14–11–67, 1–3–84, 25–2–85 एवं 21–11–89 के अवलोकन से गजेन्द्र रत्न बहादुर सिंह द्वारा ताजकुंवरि की मृत्यु के उपरान्त न्यास की सम्पत्ति का विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया गया । जब कि न्यास विलेख के अनुसार न्यास की सम्पत्ति को न्यास के उद्देश्य के विरूद्ध न्यास सम्पत्ति का किसी व्यक्ति को विक्रय करने अथवा स्वंय के लिये उपयोग करने का अधिकार नहीं है । इस तथ्य को प्रतिवादिनीगण द्वारा अपने प्रतिवाद–पत्र में इन्कार नहीं किया गया है जिससे यह उपधारणा की जायेगी कि न्यास सम्पत्ति का विक्रय गजेन्द्र रत्न बहादुर सिंह द्वारा किया गया तथा वर्तमान समय में प्रतिवादिनीगण न्यास की सम्पत्ति को न्यास के उद्देश्यों के विपरीत उपयोग करना चाहती है तथा विक्रय कर देना चाहती है । जब कि न्यास विलेख में दी गयी शर्तो के मुताबिक किसी न्यासी अथवा न्यास समिति के सचिव, सदस्य को विक्रय करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादिनीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि विवादित सम्पत्ति न्यास सम्पत्ति है । उक्त न्यास की स्थापना रानी ताज कुंवरि बेवा जंगी सिंह द्वारा किया गया है जिसकी देख–रेख रानी ताजकुंवरि अपने जीवन काल तक करती रही । इस तथ्य को प्रतिवादिनीगण द्वारा अपने प्रतिवाद–पत्र एवं मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया गया है । इस प्रकार विवादित सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति है । तद्नुसार वाद बिन्दु सं0–1 निस्तारित किया जाता है ।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–2</u>क्या वादीगण वाद–पत्र में वर्णित अभिबचनों के आधार पर न्यास सम्पत्ति का हिसाब किताब एवं प्रतिवादी सं0–1 को न्यासी के पद से हटा पाने के अधिकारी है ?

पत्रावली एवं वाद बिन्दु सं0–1 के निस्तारण से यह पाया जाता है कि विवादित सम्पत्ति राजा जंगी सिंह की सम्पत्ति थी । उन्होंने अपने जीवनकाल में मन्दिर , धर्मशाला , पाठशाला का निर्माण कराना प्रारम्भ किया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो गयी । उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी रानी ताजकुंवरि ने अपने पति की इच्छानुसार उक्त मन्दिर धर्मशाला एवं पाठशाला का निर्माण कराया तथा उक्त सम्पत्ति एवं मन्दिर के बाबत एक न्यास स्थापित करके उसका पंजीकरण 1935 में करवा लिया । रानी ताजकुंवरि अपने जीवनकाल तक उक्त न्यास की सम्पत्ति की देख–भाल करती रही । अपने

जीवनकाल में ही उन्होंने यह व्यवस्था किया कि न्यास समिति उक्त सम्पत्ति की देख–भाल करेगी। किसी को न्यास सम्पति के किसी भाग का विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा । उपरोक्त तथ्यों को प्रतिवादिनीगण द्वारा अपने प्रतिवाद–पत्र एवं मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से गजेन्द्र रत्न बहादुर सिंह द्वारा उक्त न्यास सम्पत्ति में से कुछ सम्पत्तियों को विक्रय कर दिया गया तथा वर्तमान समय में प्रतिवादिनीगण न्यास की सम्पत्ति को न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रही है । न्यास सम्पत्ति में स्थापित मन्दिर की मूर्तियों, जो अष्टधातु की है तथा काफी कीमती है , विक्रय कर देना चाहती है। मन्दिर से सम्बंधित सम्पत्ति को भी विक्रय करना चाहती है । जब कि न्यास विलेख में दी गयी शर्तो के अनुसार प्रतिवादिनीगण को न्यास की सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने अथवा विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नही हैं । इसलिये प्रतिवादिनीगण को न्यास की सम्पत्ति से हटाया जाना न्यायसंगत है । जिससे कि न्यास सम्पत्ति सुरक्षित रह सके । तद्नुसार वाद बिन्दु सं0–2 निस्तारित किया जाता है ।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–3–</u> क्या वादीगण वाद–पत्र में वर्णित अभिबचनों के आधार पर नयी न्यास समिति गठित करा पाने के अधिकारी हैं?

वाद बिन्दु सं0–1 व 2 के निस्तारण से यह पाया जाता है कि विवादित सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति है । न्यास का गठन रानी ताजकुंवरि बेवा जंगी सिंह ने किया था जिसकी देख–भाल एवं सुरक्षा एवं इन्तजाम रानी ताजकुंवरि अपने जीवनकाल तक करती रहीं । इस तथ्य को प्रतिवादिनीगण द्व ारा अपने प्रतिवाद–पत्र एवं साक्ष्य में स्वीकार किया गया है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादिनीगण विवादित सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करके विक्रय कर देना चाहती है । जब कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार न्यास विलेख के अनुसार नहीं है । इसलिये वादीगण नयी न्यास समिति गठित करा पाने के अधिकारी हैं । तद्नुसार वाद बिन्दु सं0–3 निस्तारित किया जाता है ।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–4 व 5 –</u> क्या वादीगण का वाद धारा– 92 सी0पी0सी0 में पोषणीय नहीं है ? क्या वादीगण को वाद योजित करने का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ ? यह दोनो वाद बिन्दु एक दूसरे से सम्बंधित है इसलिये सुविधा के अनुसार एक साथ निर्णीत किया जा रहा है ।

प्रतिवादिनीगण का प्रतिवाद–पत्र में कथन है कि वादीगण को प्रस्तुत वाद धारा– 92 योजित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । पत्रावली के

अवलोकन से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद योजित करने से पूर्व प्रकीर्ण वाद सं0–127/14 प्रस्तुत किया गया है तथा विवादित सम्पत्ति के बाबत वाद प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा अनुमति चाही गयी । न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि विवादित सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति है । उक्त न्यास की सम्पत्ति में भगवान शंकर जी व रामचन्द्र जी की स्थापना है जिसमें वादीगण पूजा करते हैं एवं आस्था रखते हैं एवं इसी आधार पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार करके वाद योजित करने की अनुमति दी गयी । इसलिये वादीगण का वाद धारा– 92 सी0पी0सी0 में पोषणीय है । जहां तक वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न है, प्रतिवादिनीगण द्वारा विवादित सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द एवं विक्रय करने का प्रयास किया गया । जब कि उक्त सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति है । इसलिये किसी व्यक्ति को , न्यासी को अथवा न्यास के अध्यक्ष , सचिव एवं न्यास समिति के किसी सदस्य को न्यास की सम्पत्ति को विक्रय करने अथवा खुर्द–बुर्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । न्यास की शर्तो के अनुसार यदि न्यासी अथवा समिति के किसी सदस्य द्वारा न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाया जाता है तो किसी भी व्यक्ति को न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा हेत वाद योजित करने का अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार वादीगण को वाद योजित करने का वाद कारण प्राप्त है । तद्नुसार वाद बिन्दु सं0–4 व 5 निस्तारित किये जाते हैं ।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–6</u> वादीगण किस अनुतोष को पाने के अधिकारी है ? पत्रावली एवं वाद बिन्दु सं0–1 लगायत–5 के निस्तारण से यह पाया जाता है कि विवादित सम्पत्ति न्यास सम्पत्ति है । न्यास का सृजन रानी ताजकुंवरि द्वारा किया गया था । वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि विवादित सम्पत्ति न्यास सम्पत्ति है । इसलिये वादीगण वाद–पत्र में याचित अनुतोष पाने के अधिकारी है ।

उपरोक्त विवेचन एवं वाद बिन्दु सं0–1 लगायत–5 के निस्तारण से यह पाया जाता है कि विवादित सम्पत्ति न्यास सम्पत्ति है । न्यास का सृजन रानी ताजकुंवरि द्वारा किया गया था । वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि विवादित सम्पत्ति न्यास सम्पत्ति है। प्रतिवादिनीगण द्वारा न्यास की सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है । दस्तावेजी साक्ष्य बयनामा की सत्य प्रतिलिपि जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है उससे यह तथ्य साबित है कि न्यास की सम्पत्ति को प्रतिवादिनीगण से पूर्व गजेन्द्र रतन बहादुर सिंह द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया गया है तथा वर्तमान समय में प्रतिवादिनीगण न्यास की सम्पत्ति को विक्रय कर देना चाहती है । इस प्रकार वादीगण अपने वाद को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से

साबित करने में सफल रहे हैं । वादीगण का वाद आज्ञप्ति किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादिनीगण आज्ञप्ति किया जाता है तथा उक्त न्यास की सम्पत्ति की देख–रेख व सरवराकार उपजिलाधिकारी, गोला को नामित किया जाता है तथा यह भी आदेशित किया जाता है कि वह नयी न्यास समिति का गठन अपनी अध्यक्षता में सम्भ्रान्त व्यक्तियों की उपस्थिति में एक माह में किया जाना सुनिश्चित करें । जब तक नयी न्यास समिति का गठन नहीं हो जाता है तब तक न्यास सम्पत्ति की देख–रेख उपजिलाधिकारी गोला करेंगे । प्रतिवादिनीगण को आदेशित किया जाता है कि वे न्यास सम्पत्ति से अपना कब्जा हटाकर न्यास समिति को दे दें। यदि प्रतिवादिनीगण ऐसा करने में कासिर रही तो वादीगण को अथवा नयी न्यास समिति को कब्जा लेने का अधिकार होगा ।

दिनांक 11–4–2018

(बाबू राम)
अपर जिला जज, कोर्ट नं0–4
लखीमपुर–खीरी।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 11–4–2018

(बाबू राम)
अपर जिला जज,कोर्ट नं0–4,
लखीमपुर–खीरी।